रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 1986/माघ 12, 1907
No. 32 NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 1986/MAGHA 12, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1986

संख्या 37/1/5/86/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 31 जनवरी, 1986 का निम्न-लिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक सभा को गुरुवार, 20 फरवरी, 1986

को 11.00 बजे म.पू. से दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करता हूं ।

31 जनवरी, 1986

ज़ैल सिंह
राष्ट्रपति ।''

के. सी. रस्तोगी, कृते महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 1986

No. 37|1|V|86|T.—The following order by the President dated 31st January, 1986, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Thursday, the 20th February, 1986 at 11 A.M.

January 31, 1986.

ZAIL SINGH,
President."

K. C. RASTOGI,
For Secretary-General

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986